INDEX

Starred Assembly Question No. \*71

Starred Assembly Question Diary No. \*14/18/410

Listed on 27.02.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sr. No.** | **Particulars** | **Page No.** |
| 1. | Note for Pad (in English) | 1-2 |
| 2. | Note for Pad (in Hindi) | 3-4 |

**Note for Pad**

**\*14/18/410 Sh. Parmod Kumar Vij, MLA (Panipat City)**

1. As per notification dated 04.02.2022 issued by Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas, the industries were required to switch to PNG/cleaner fuel, failing which such industries would be closed and not permitted to operate. Hence, there is a demand for setting up of common boiler by the industrialists in Panipat.
2. Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) was given the mandate by State Govt. for implementation of the Common Boiler Project in Panipat. HSIIDC engaged consultant M/s KPMG for feasibility study for setting up a common boiler facility at Panipat. The consultant had submitted the feasibility study report with details as under: -
3. Proposed community boiler configuration to be 4 nos. boilers of 110 TPH each i.e., 440 TPH (4X110 TPH) capacity and to be setup at Sector 29 Part 2.
4. Setting-up a Coal fired Community Boiler facility is not feasible since Coal is not an approved fuel in NCR as per CAQM notification.
5. Biomass-fired boiler facility is not a feasible option considering challenges in operational aspects of biomass availability in large volume, large storage space requirement, and difficulty in ash disposal in scientific way.
6. PNG is an approved fuel as per CAQM, and PNG fired boiler facility doesn’t require fuel handling and ash disposal. However, PNG is available at a significantly higher price compared to Coal and Biomass. Hence, for PNG fired boiler option, it is suggested to evaluate average steam price at which steam shall be supplied to Industrial units and conduct a financial viability of the facility at the determined steam price.
7. Overhead electricity lines (11 KV/ 33 KV) across Panipat Sector 29 Part 2 to be shifted underground to create space for installing steam pipeline network for supplying steam to industrial units.
8. Adequate land and fresh water supply to be ensured to the proposed community boiler facility.
9. A financial feasibility was undertaken for PNG-fired community boiler facility. As per the financial feasibility, it was concluded that:
10. The project is feasible (@ IRR of 22.7%) if the selling price of steam to industrial units is INR 7.58/kg at a PNG market rate of INR 60/kg, which would be further escalated @5% every 4th year of the Concession Period.
11. Industrial units were consulted to ascertain their willingness to pay for steam at INR 7.58/kg from the proposed community boiler facility. The units expressed their inability to pay such exorbitant prices for steam supply since it costs them approximately INR 2.5-3 /kg in the current scenario.
12. Since stream uptake from Industrial Units is the most important consideration for smooth operation of the proposed community boiler, the PNG fired community boiler is not a feasible option.
13. 11 KV overhead electricity lines are present on both the side of road across Sector 29 Part 2. Additionally, 33 KV HT and 400 KV HT lines pass through the sector. It is vital to shift 11KV/ 33 KV power lines underground to create a space for installing steam pipeline network for suppling steam to industrial units. Undertaking this activity is technically challenging, involves high cost to the tune of Rs. 50 Crores (approx.) and is time consuming.
14. Chief Engineer, Irrigation & Water Resources Department had suggested use of treated water in place of canal water which is limited. However, it was discussed that further treating treated water before making it viable for usage for common boiler will increase the project cost significantly.
15. A meeting was held on 26.06.2023 under the chairmanship of ACS, I&C, wherein, it was felt that setting up of Common Boiler on PPP mode in Panipat is not feasible. Therefore, it was decided that these findings may be apprised to the Hon’ble CM, Haryana for his kind information and with a request to drop the above Budget Announcement, which is found to be non-feasible in view of the aforesaid reasons. Accordingly, the case was processed, wherein, it was desired at Govt. level to get another feasibility study of the subject cited work.
16. Accordingly, offers were sought from reputed Govt. institutes like IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Kanpur and NIT Kurukshetra to conduct survey and review the pre-feasibility study conducted by M/s KPMG and to give their opinion & some other alternate options to make the project feasible. Work order was issued in this regard to IIT, Kanpur on 19.12.2023.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**पैड के लिए नोट**

**तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या \*71**

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिनांक 04.02.2022 की अधिसूचना के अनुसार, उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने की आवश्यकता थी, ऐसा न करने पर ऐसे उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा और अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उद्योगपतियों द्वारा पानीपत में सामूहिक बॉयलर लगाने की मांग की जा रही है।

2. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को राज्य सरकार द्वारा अधिकार दिया गया था। पानीपत में सामान्य बॉयलर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एचएसआईआईडीसी ने पानीपत में एक सामान्य बॉयलर सुविधा स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सलाहकार मैसर्स केपीएमजी को नियुक्त किया। सलाहकार ने निम्नानुसार विवरण के साथ व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी: -

i. प्रस्तावित सामान्य बॉयलर विन्यास 4 होगा। 110 टीपीएच प्रत्येक यानी 440 टीपीएच (4X110 टीपीएच) क्षमता के बॉयलर और सेक्टर 29 भाग 2 में स्थापित किए जाएंगे।

ii. कोयले से चलने वाली सामान्य बॉयलर सुविधा स्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि सीएक्यूएम अधिसूचना के अनुसार कोयला एनसीआर में अनुमोदित ईंधन नहीं है।

iii. बड़ी मात्रा में बायोमास की उपलब्धता, बड़े भंडारण स्थान की आवश्यकता और वैज्ञानिक तरीके से राख निपटान में कठिनाई के परिचालन पहलुओं में चुनौतियों को देखते हुए बायोमास-फायर्ड बॉयलर सुविधा एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

iv. सीएक्यूएम के अनुसार पीएनजी एक अनुमोदित ईंधन है, और पीएनजी संचालित बॉयलर सुविधा के लिए ईंधन प्रबंधन और राख निपटान की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, पीएनजी कोयले और बायोमास की तुलना में काफी अधिक कीमत पर उपलब्ध है। इसलिए, पीएनजी संचालित बॉयलर विकल्प के लिए, औसत भाप मूल्य का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया जाता है जिस पर औद्योगिक इकाइयों को भाप की आपूर्ति की जाएगी और निर्धारित भाप मूल्य पर सुविधा की वित्तीय व्यवहार्यता का संचालन किया जाएगा।

v. औद्योगिक इकाइयों को भाप की आपूर्ति के लिए भाप पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए जगह बनाने के लिए पानीपत सेक्टर 29 भाग 2 में ओवरहेड बिजली लाइनों (11 केवी / 33 केवी) को भूमिगत स्थानांतरित किया जाएगा।

vi. प्रस्तावित सामुदायिक बॉयलर सुविधा के लिए पर्याप्त भूमि और ताजे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

vii. पीएनजी-चालित सामान्य बॉयलर सुविधा के लिए एक वित्तीय व्यवहार्यता शुरू की गई थी। वित्तीय व्यवहार्यता के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि:

क) यदि औद्योगिक इकाइयों को भाप की बिक्री मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम की पीएनजी बाजार दर पर 7.58 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो परियोजना व्यवहार्य है (22.7% आईआरआर की दर से), जिसमें रियायत अवधि हर 4 वें वर्ष में 5% की दर से बढ़ाया जाएगा।

ख) प्रस्तावित सामुदायिक बॉयलर सुविधा से भाप के लिए 7.58 रुपये/किग्रा की दर से भुगतान करने की उनकी इच्छा सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों से परामर्श किया गया था। इकाइयों ने भाप आपूर्ति के लिए इतनी अधिक कीमत का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में इसकी लागत लगभग 2.5-3 रुपये प्रति किलोग्राम है।

ग) चूंकि प्रस्तावित सामुदायिक बॉयलर के सुचारू संचालन के लिए औद्योगिक इकाइयों से धारा ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण विचार है, पीएनजी संचालित सामुदायिक बॉयलर एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

viii. 11 केवी ओवरहेड बिजली लाइनें सेक्टर 29 भाग 2 में सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 33 केवी एचटी और 400 केवी एचटी लाइनें सेक्टर से गुजरती हैं। औद्योगिक इकाइयों को भाप की आपूर्ति के लिए भाप पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए जगह बनाने के लिए 11 केवी/33 केवी बिजली लाइनों को भूमिगत स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है। इस गतिविधि को करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, इसमें लगभग 50 करोड़ रु0 की उच्च लागत शामिल है और इसमें समय लगता है।

ix. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने नहरी पानी के स्थान पर उपचारित पानी के उपयोग का सुझाव दिया था, जो सीमित है। हालाँकि, इस बात पर चर्चा हुई कि सामान्य बॉयलर के उपयोग के लिए व्यवहार्य बनाने से पहले उपचारित पानी का उपचार करने से परियोजना लागत में काफी वृद्धि होगी।

x. 26/06/2023 को एसीएस, आई एंड सी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह महसूस किया गया कि पानीपत में पीपीपी मोड पर कॉमन बॉयलर की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि इन निष्कर्षों को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा को उनकी जानकारी के लिए अवगत कराया जा सकता है और उपरोक्त बजट घोषणा को रद्द करने के अनुरोध के साथ, जो उपरोक्त कारणों के मद्देनजर गैर-व्यवहार्य पाई जाती है। तदनुसार, मामले पर कार्रवाई की गई, उपरोक्त विषय कार्य के संदर्भ में व्यवहार्यता अध्ययन सरकार के स्तर पर वांछित था।

xi. तदनुसार प्रतिष्ठित सरकार से प्रस्ताव मांगे गए थे जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रूड़की, आईआईटी कानपुर और एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसे संस्थानों को मेसर्स केपीएमजी द्वारा किए गए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन का सर्वेक्षण और समीक्षा करने और परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए अपनी राय और कुछ अन्य वैकल्पिक विकल्प देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में आईआईटीए कानपुर को 19/12/2023 को कार्य आदेश जारी किया गया था।